



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

— 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01 / यो0ब0—08 / 2019—224

दिनांक : 10.03.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/
उप वन संरक्षक, योजना (जनजातीय क्षेत्र), राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020—21 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधायें” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत दैनिक श्रमिक के मजदूरी भुगतान हेतु कुल ₹0 223409.00 (दो लाख तेर्झस हजार चार सौ नौ रुपये) मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 396 दिनांक 07.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप आवंटित राशि के अतिरिक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निम्नवत राशि उप आवंटित की जाती है :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के परिश्रमिक भुगतान हेतु कुल ₹0 134780.00 (एक लाख चौंतीस हजार सात सौ अस्सी रुपये) का उप आवंटन किया जाता है।

उप वन संरक्षक, योजना (जनजातीय क्षेत्र), राँची को उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के परिश्रमिक भुगतान हेतु कुल ₹0 88629.00 (अठासी हजार छः सौ उनतीस रुपये) का उप आवंटन किया जाता है।

अतः कुल ₹0 223409.00 (दो लाख तेर्झस हजार चार सौ नौ रुपये) मात्र का उप आवंटन मजदूरी मद में किया जाता है। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर द्रष्टव्य है।

2. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है। पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—08 / 2019—224

दिनांक—10.03.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

10/2
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—08 / 2019—224

दिनांक—10.03.2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

10/3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्विंशीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-08/2019/224

दिनांक -

10-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101150103	86572	DRNFWL004	134,780.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NIRANJAN PRASAD DEO	रुपये एक लाख चौहास हजार सात सौ अस्ती
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संगोष्ठण		DFO.SOCIAL FORESTRY	
	15 - वन प्रबंधन सुविधायें		DIV.RANCHI	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 240601101150103	86577	DRNFWL206	88,629.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VIJAY SHANKAR DUBEY	रुपये अठयासी हजार छ: सौ लाखीस
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संगोष्ठण		IFS	
	15 - वन प्रबंधन सुविधायें		DY.CF.PLANNING	
	01 - वेतन एवं भत्ते		TRIBAL AREA RAN	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342)		
	Central Scheme :	NA		
				223,409.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये दो लाख तेहस हजार चार सौ नौ			
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	